न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

II/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/01216 पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–श्योपुर

कानी पत्नी श्री हीरालाल धोबी
निवासी– ग्राम ज्वालापुर तहसील जिला – श्योपुर (म.प्र.)

...........आवेदिका

विरूद्ध

लेखराज उर्फ बलराम पुत्र मंगल सिंह माली
निवासी– ग्राम सोई तहसील व जिला श्योपुर हाल निवास तहसील कराहल (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, आवेदिका के पति हीरालाल द्वारा ग्राम सोईकला की भूमि सर्वे क्रमांक 1556 में से रकवा 0.4 बीघा भूमि कब्जा इन्द्राज बावत् आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के तहत् प्रस्तुत किया गया। जिसपर नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/08–09/अ6अ पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 14.10.2009 पारित कर खसरा के कॉलम नं. 12 में वर्ष 2008–09 में कब्जा प्रमाणित किया गया।

2 यहकि, नायब तहसीलदार मानपुर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थीं। जो स्पष्टतः अवधि बाह्य थीं ऐसी स्थिति में आवेदिका के मृतक पति हीराचाल द्वारा परिसीमा के बिन्दु पर आपत्ति की जाकर लिखित बहस प्रस्तुत की गयी थी जिसमें अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि बाह्य अपील निरस्त किये जाने निवेदन किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/निग./श्योपुर/भू.रा./**2018/01216** जिला श्योपुर

कानी विरूद्ध लेखराज उर्फ बलराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक08/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	